हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-9-19 वकील वादीया उपस्थित वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर फार्म न. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये शामिल पत्रावली किये जाकर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादीया स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 274/2012 अनवान ललीता कुमारी बनाम जसवीरकौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 274/2012

1 ललिता कुमारी धर्मपत्नि श्री नरेन्द्र सिहं, जाति राजपूत (राजवी), निवासी हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीया

–:: बनाम ::–

1 जसवीर कौर धर्मपत्नि श्री चनन सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक ज्वालासिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री लाल चन्द वर्मा अधिवक्ता — वादीया
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 05.09.2019
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20.09.2019

वादीया द्वारा प्रतिवादीया संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 9/6 में पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/0.506, 23/.177, 24/.126, 25/.215 तादादी 1.024 हैक्टर पत्थर नम्बर 141/271 (33) किला नम्बर 3/.020, 4–5/.506 तादादी 0.708 हैक्टर कुल तादादी 1.732 हैक्टर भूमि औमप्रकाश पुत्र श्री घनश्याम जाति महाजन (सर्राफ) निवासी नोहर की एकल खातेदारी भूमि थी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 संलग्न वादपत्र है।

मूल खातेदार स्व. श्री ओमप्रकाश का निधन होने के उपरान्त जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 25.04.2007 उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई स्व. श्री औमप्रकाश के वारिसान ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/.506, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2007 वादीया को विक्रय की। चित्रप्रति बैयनामा संलग्न है। उक्त बैयनामा के आधार पर वादीया के नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज हो चुका है। स्व. श्री औमप्रकाश के वारिसान ने राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज हो चुका है। स्व. श्री औमप्रकाश के वारिसान ने उक्त खाता की शेष भूमि 0.923 हैक्टर प्रतिवादीया संख्या 1 को विक्रय कर दी तथा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीया संख्या के नाम दमलदरामद हो चुका है।

उक्त वर्णित भूमि के मध्य में से सड़क भद्रकाली रोड़ निकलती है तथा सड़क के उतर की तरफ 0.809 हैक्टर भूमि व सड़क से दक्षिण की ओर 0.923 हैक्टेयर भूमि है। नजरी नक्शा संलग्न वादपत्र है। वादीया द्वारा खरीदशुदा भूमि सड़क के उतर की ओर स्थित है।

वादीया द्वारा उक्त भूमि के खातेदारों से विशिष्ट किला की भूमि क्रय की गई है तथा इस भूमि पर वादीया का पुराना कब्जा है व चार दीवारी की हुई है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बैयनामा में स्पष्ट किलेजात का उल्लेख होते हुये भी इन्तकाल दर्ज करते समय वादीया का उक्त खाता में 0.809 हैक्टर गलत रूप से सांझा अंकन कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

वादीया स्व. श्री ओमप्रकाश के वारिसान से क्रयशुदा विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की विधिक रूप से अधिकारी है।

खाता सांझा रहने से वादीया को असुविधा हो रही है तथा अपनी भूमि के सुधार एवं वितीय संस्था से ऋण आदि लेने में कठिनाई हो रही है। वादीया मुताविक खरीद अपना 0.809 हैक्टर भूमि पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/.506, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर का खाता अलग कायम करवाने की अधिकारिणी एवं दावेदार है।

वादीया ने प्रतिवादीया संख्या 1 से आग्रह किया कि वे वादीया का मुताविक उक्त वर्णित 0.809 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करवाने में सहमति दे देवें तो वे टाल मटोल कर गई। इस कारण वादीया को बिनाय दावा हासिल हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रश्नगत भूमि का भू–धारक है तथा कानूनन उसकी लिखित सहमति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक पक्षकार है।

वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय में स्थित है। अतः यह वादपत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है जो 2/– रूपया के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादपत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीया बहक वादीया एवं विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादीया कृषि भूमि चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 80/9 तादादी 1.732 हैक्टर में अपनी खरीदशुदा एवं कब्जा काश्त की पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/0.506, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर की खातेदार कृषक है।

(ख) कृषि भूमि चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 80/9 तादादी 1.732 हैक्टर में वादीया की खरीदशुदा भूमि पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/0.506, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि का खाता वादीया के पक्ष में विभाजन करने की डिक्री फरमाई जावे व रकमराज अलग कायम की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत हो, वादीया के पक्ष में प्रदत फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा जबाबदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जबाब दावा में कथन किया कि वादीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है कि ओमप्रकाश के वारिसान ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नंबर 17, 18, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि वादीया को विक्रय की हो। ओमप्रकाश के वारिसो ने ना तो विशिष्ट बीघा वादीया को विक्रय किए व ना ही उन्हें विशिष्ट किले विक्रय करने का अधिकार था 0.809 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीया के नाम दर्ज होना मात्र स्वीकार है लेकिन 0.809 हैक्टर भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। ओमप्रकाश के वारिसान ने उक्त मुश्तर्का खाता में 0.923 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की, इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्तकाल भी मुश्तर्का खाता में दर्ज हुआ।

वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। वादीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि वादीया द्वारा खरीद शुदा भूमि सड़क से उत्तर की ओर स्थित हो।

लगातार 3

Scanned by CamScanner

वादीया का यह कथन कतई गलत, मिथ्या व निराधार होने से अस्वीकार है कि वादीया ने विशिष्ट किला की भूमि खरीद की हो तथा इस भूमि पर वादीया का पुराना कब्जा व चारदीवारी की हुई हो। वादीया का यह कथन भी कतई गलत व निराधार होने से अस्वीकार है कि राजस्व कर्मचारियो ने बेयनामा मे स्पष्ट किलेजात का उल्लेख होते हुए भी इन्तकाल दर्ज करते समय वादीया का उक्त खाता में 0.809 हैक्टर गलत रूप से सांझा अंकन कर दिया हो। वादीया के उक्त कथन ना केवल मिथ्या है बल्कि निराधार भी है। उक्त इन्तकाल सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में हुआ है यदि वादीया उक्त आदेश से अपने आपको पीडित महसूस करती है तो उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे अपील दायर करनी चाहिए। वादीया को खाता विभाजन का कोई वाद कारण हासिल नहीं हुआ है। वादीया विधिक रूप से क्रय शुदा भूमि के संबंध में कोई घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

वादीया पत्थर नंबर 142/270 (20) किला नंबर 17, 18, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि का खाता अलग करवाने की अधिकारिणी व दावेदार नहीं है। वादीया ने वादपत्र की गर्ज से मिथ्या कथन किये है। वादीया को कोई वाद कारण हासिल नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम में कथन किया कि वादीया स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आई तथा उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को माननीय न्यायालय से छिपाया है। वादीया कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

वादीया के पक्ष में हुए कथित वैयनामा के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है। वादीया यदि उक्त आदेश से अपने आप को पीडित महसूस करती है तो उसे उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए। वादीया के वादपत्र के अभिवचनों के मुताबिक वादीया का वादपत्र बाबत खाता विभाजन व घोषणा विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। वादीया ने इन्तकाल के आदेश को कही भी चुनौती नहीं दी है।

चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नंबर 17, 18, 23/.170, 24/.126, 25/.215 व पत्थर नंबर 141/271 (33) किला नम्बर 3/.202, 4, 5 कुल 1.732 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व वादीया का सींव, बट व रकमराज को लेकर विवाद रहता है, प्रतिवादीया संख्या 1 जरिये काऊन्टर क्लेम अपनी 0.923 हैक्टर कृषि भूमि को अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी व दावेदार है।

उक्त काउन्टर क्लेम का वाद कारण मिन प्रतिवादीया संख्या 1 को उक्त वाद हाजा से व गत सप्ताह प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन का कहने पर व वादीया द्वारा इन्कार करने से हुआ है। काऊन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 3/–रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः संशोधित जवाव दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीया खारिज फरमाया जाकर काऊन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 निम्नलिखित तरीका से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17, 18, 23/.170, 24/.126, 25/.215 व पत्थर नम्बर 141/271 (33) किला नम्बर 3/.202, 4, 5 कुल 1.732 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.923 हैक्टर कृषि भूमि का खाता विभाजन अच्छी मंदी के लिहाज से किया जाकर रकमराज अलग से कायम फरमाई जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीया संख्या 1 को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रतिवादीया संख्या 1 को दिलाया जाना उचित समझे, दिलाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम के सन्दर्भ में वादीया द्वारा जवाबुल जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रतिवादीया संख्या 1 का यह कथन कतई गलत व विधी विरूद्ध है कि स्व. औमप्रकाश के वारिसान को अपनी खातेदारी भूमि में से किसी विशिष्ठ भूभाग को विक्रय करने की अधिकारिता ना हो। प्रश्नगत खाता की भूमि दो भागों में विभक्त है तथा इस भूमि के बीच में से भद्रकाली रोड गुजरती है। इस सड़क के उत्तरी तरफ की भूमि 0.809 हैक्टर है तथा इसी 0.809 हैक्टर भूमि के किलेजात स्व. श्री औमप्रकाश के वारिसान ने विक्रय किये है। बैयनामा दिनांक 04.06.2007 में इस संबंध में विशिष्ट उल्लेख है। वस्तुतः इस भूमि का कब्जा वादीया के पति के पास पूर्व से ही था तथा स्व. ओमप्रकाश के वारिसान ने इस विक्रय पत्र के निषादन से पूर्व वादीया के पति के पक्ष में विक्रय अनुबंध भी निष्पादित किया हुआ था। प्रश्नगत भूमि का शेष भूभाग जो 0.923 हैक्टर है इस सड़क के दक्षिण में है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त दक्षिणी हिस्सा की 0.923 हैक्टर भूमि ही खरीद की है। जबाव दावा की चरण संख्या 6 में प्रतिवादीया संख्या 1 का यह कथन कतई गलत व विधि विरूद्व है कि वादीया को इन्तकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी बल्कि वादीया को विक्रेतागण द्वारा निष्पादित बैयनामा में अंकित परिवर्णन एवं अपने कब्जा काश्त की भूमि के आधार पर खाता विभाजन करवाने का वाद कारण हासिल है।

वादीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया है। प्रश्नगत भूमि के नक्शा से ही स्पष्ट है, कि उक्त भूमि के खाता की भूमि में से सड़क से उत्तरी तरफ 0.809 हैक्टर भूमि है तथा बैयनामा में इसी भूमि का उल्लेख है।

खाता विभाजन के वाद पत्र में भी वादीया अपनी खरीदशुदा व कब्जा की भूमि का अधार लेकर खाता विभाजन करवाने हेतु अधिकारी है। वादीया की भूमि सड़क से उत्तरी तरफ है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 की भूमि सड़क से दक्षिणी तरफ है। अतः सींव बट का कोई विवाद नहीं है।

प्रतिवादीया कथित रूप से अच्छी मन्दी के लिहाज से खाता विभाजन की अधिकारिणी नहीं। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया संख्या 1 में वर्णित अनुतोष (क) लगायत (ग) से इन्कारी है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया संख्या 1 मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

अतः जबावुल जबाव मय जबाव काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि जबावदेही एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया संख्या 1 खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा काऊन्टर क्लेम व वादीया द्वारा प्रस्तुत जबावुल जबाब का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया स्व. श्री औमप्रकाश पुत्र श्री घनश्याम की चक 15 एच.एम.एच. में 1.732 हैक्टर भूमि में से सड़क के उत्तर की तरफ .809 हैक्टर भूमि स्व. श्री औमप्रकाश के वारिसान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाक 04.06.2007 वादीया को विक्रय की ?
   – – वादीया
2. आया वादीया क्रयशुदा कृषि भूमि पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17–18/.506, 23/.177, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि पर काबिज है ?
   – – वादीया
3. आया वादीया के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र में विशिष्ट भूमि का उल्लेख होने के बावजूद राजस्व अभिलेख में 0.809 हैक्टर भूमि का सांझे तौर पर इन्तकाल गलत दर्ज हुआ है तथा वादीया अपनी क्रयशुदा भूमि का खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी है ?
   – – वादीया

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

4. आया प्रतिवादीया संख्या 1 जरिये काउण्टर वलेम प्रश्नगत भूमि 1.732 हैक्टर में अपनी क्रयशुदा 0.923 हैक्टर भूमि का अच्छी मन्दी के लिहाज से खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी है ? – – प्रतिवादीया
5. आया प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा क्रयशुदा 0.923 हैक्टर भूमि सड़क के दक्षिण तरफ पैमूद है। – – प्रतिवादीया
6. अनुतोष
7. आया वादीया चक 15 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17, 18, 23, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारिणी हैं ? – – वादीया

तनकी नम्बर 1 ता 3 व 7 को सिद्ध करनें का भार वादीया पर था जिसको सिद्ध करनें हेतु वादी स्वयं व वादीया के पति श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये प्रतिवादी के अधिवक्ता को बार बार आवाज लगवानें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस निर्धारित की गई।

वादीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादीया के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया द्वारा भूमि जरिये बैयनामा खरिद की गई है। जिसमें किला विशेष का उल्लेख करते हुए कब्जा वादी को सौपा गया है। इस सम्बंध में वादीया की और से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फार्म नम्बर 3 के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अन्तर्गत वादीया के पास वर्तमान में मुताबिक बैयनामा चक 15 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17, 18, 23, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि का वर्तमान में कब्जा काश्त होना बताया गया है। अतः मुताबिक बैयनामा वादी की खातेदारी भूमि का खाता विभाजन किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादीया द्वारा उक्त भूमि के जरिये बैयनामा खरिद किया गया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार वादीया द्वारा मुताबिक बैयनामा किला विशेष पर ही कब्जा काश्त होनें से वादीया तनकी नम्बर 1, 2, 3 व 7 सिद्ध करनें में पूर्णतः सफल रही है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नंबर 17, 18, 23/.177, 24/.126, 25/.215 व पत्थर नंबर 141/271 (33) किला नम्बर 3/.202, 4, 5 कुल 1.732 हैक्टर भूमि में वादीया की 0.809 हैक्टर खातेदारी भूमि के सम्बंध मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीया के हिस्सा अनुसार पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17, 18, 23, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 274/2012

1 ललिता कुमारी धर्मपत्नि श्री नरेन्द्र सिहं, जाति राजपूत (राजवी), निवासी हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़। **– – वादीया**

–:: बनाम ::–

1 जसवीर कौर धर्मपत्नि श्री चनन सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक ज्वालासिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़। **– – प्रतिवादीगण**

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा :– 53, आर.टी.ए. बाबत विभाजन

निर्णय दिनांक :– 20.09.2019

वादीया की और से श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादीया के विरूद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक पक्षीय होनें तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 26.9.19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि चक 15 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नंबर 17, 18, 23/.177, 24/.126, 25/.215 व पत्थर नंबर 141/271 (33) किला नम्बर 3/.202, 4, 5 कुल 1.732 हैक्टर भूमि में वादीया की 0.809 हैक्टर खातेदारी भूमि के सम्बंध मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीया के हिस्सा अनुसार पत्थर नम्बर 142/270 (20) किला नम्बर 17, 18, 23, 24/.126 कुल 0.809 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 26.9.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग			

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner